UNFEEDING WORLD BANK PARIYOJNA
INTER-STATE PROJECT FOR WELFARE & DEVELOPMENT
CORPORATE OFFICE-UNFW BANK BUILDING,IIM-RD,LUCKNOW,UP,INDIA,
Mb-9473673785, e-mail-unfeedingworld@gmail.com,

पत्रांक: एस.जी.एस.वाई/2026-27 /10272 **दिनाँक:-14.11.2026**

सेवा मे,
श्रीमान पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

विषय:- अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना, लखनऊ के सम्बंध में स्पष्टीकरण, तथा लीगल अनुबंध होने के बाद भी,पुलिस में हमारी झूठी शिकायत करके पुलिस को गुमराह करने, एवं हमारे अधिकारियो को धमकाने वालों के ऊपर,कड़ी कार्यवाही करने के संबंध में अनुरोध।

महोदय,
उपरोक्त के संबंध में आपको निम्नलिखित अवगत कराना है कि-

1.अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना, एक अंतर्राज्यीय फडिंग परियोजना है, जो गैर संगठित क्षेत्रों के सभी किसानो, स्वयं सहायता समूहों, महिलाओ एवं अन्य सभी जरूरतमंद समूहों को,अनफीड़िंग वर्ल्ड-बैंक परियोजना की विभिन्न कम्पनियो तथा सहयोगी उपक्रमों के फेडरेशन के लाभांशों, अर्थात,अनफीडिंग वर्ल्ड-सीएसआर वेलफेयर फंड से, अनफीडिंग वर्ल्ड - बिना कुछ भी जमा किये, हर घर लखपति योजना के द्वारा, उनके सभी चिकित्सा, शिक्षा, निष्चित रोजगार प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक चयनित बिलो के भुगतान एवं छोटे घरो के निर्माण सहित, उनकी किसी भी आवश्यकता के लिए, बिना ब्याज के ऋण, बिना किसी औपचारिकता के, कैश सहायता के रूप में, सम्बंधित राज्य सरकारों एवं चयनित आउटसोर्स एजेंसियो के माध्यम से, दुनिया में पहली बार बिलकुल फ्री,उपलब्ध करा रही है। प्रस्तावित अनफीडिंग वर्ल्ड बैंको के लिए सभी कार्य,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना, द्वारा किये जाएंगे।

2. महोदय, प्रस्तावित अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक, के गठन के लिए प्रारंभ की गई उपरोक्त, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना, एक अंतर्राज्यीय परियोजना है, इसके रजिस्टर्ड उद्देश्यों में, बैंक के गठन सहित सभी संबंधित कार्यो एवं उद्देश्यों का भली प्रकार उल्लेख है। महोदय, इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,द्वारा उपरोक्त,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना के नाम से, परमानेंट एकाउंट नंबर भी जारी किया गया है,तथा, भारत सरकार से हमारे समूह को, अनफीडिंग वर्ल्ड, ट्रेड नाम पेटेंट किया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।

3. भारत सरकार के, आत्मनिर्भर-भारत अभियान के अंतर्गत, सभी जरूरतमंद लोगों के लिए, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना का, केंद्रीय मंत्री, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा विकास भवन, लखनऊ, के सभागार में, शासन, प्रशासन, मीडिया एवं गड़मान्य लोगों की उपस्थिति में दीप जलाकर भव्य उद्घाटन किया गया था। तथा दिनांक-16.08.2026 को, होटल ताज गोमती नगर, लखनऊ, में माननीय उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, द्वारा शासन के वरिष्ठ अधिकारियों, गणमान्य लोगों, तथा दुनिया भर की मीडिया की उपस्थिति में, अनफीडिंग वर्ल्ड-बिना कुछ भी जमा किए, हर घर लखपति योजना, का भव्य शुभारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रियों एवं आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना को आवश्यक सहयोग देने के निर्देश दिए जा चुके हैं । सम्बंधित पत्रों की प्रतिलिपियाँ एवं कार्यक्रम की मीडिया रिपोर्ट भी संलग्न है।

4. उपरोक्त, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,आर्थिक रूप से कमजोर लोगों एवं महिलाओं के सहायतार्थ उनको, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,की विभिन्न कंपनियों तथा सहयोगी उपक्रमों के फेडरेशन के लाभांशों, अर्थात, सीएसआर वेलफेयर फंड से, छोटे घरों के निर्माण सहित,उनकी किसी भी आवश्यकता के लिए, बिना ब्याज के ऋण, के रूप में कैश सहायता, बिना किसी औपचारिकता के, रजिस्ट्रेशन-उपलब्धता के क्रम में, उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से संचालित की जा रही,एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। तथा उपरोक्त अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना में, किसी लाभार्थी से कोई भी सुविधा शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अनुबंध कराने की जिम्मेदारी संबंधित लाभार्थियों की होगी। इसलिए परियोजना की स्कीमों के संबंध में किसी भी दावे एवं किसी भी दुष्प्रचार अथवा कानूनी कार्यवाही को, पूर्णतया गैर कानूनी माना जाएगा।

5. अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना, के प्रबंधन के लिए, आउटसोर्सिंग एजेंसियों एवं आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्तियां अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,के उद्देश्यों के अनुसार, अनुबंध के आधार पर की जा रही है। उपरोक्त अनुबंध के अनुसार,आउटसोर्सिंग एजेंसियों एवं लोन ऑफीसर्स द्वारा आवेदन के साथ,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,के सी.ओ.ए. द्वारा सर्वसम्मति से निर्धारित शुल्क का एकाउंट-पेयी भुगतान किया जायेगा, उपरोक्त जमा की जाने वाली राशियों को,

उपरोक्त के अनुबंध, प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन प्रबंधन सहित विभिन्न खर्चों में, खर्च कर दिया जायेगा, इसलिए उपरोक्त शुल्कों,सिक्योरिटी एवं किए जाने वाले समस्त अनुबंधों में खर्च की गई राशि का समायोजन तथा संबंधित कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान, अनुबंध के आधार पर, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना, द्वारा, अपने विभिन्न उपक्रमों एवं कंपनियों के लाभांशों द्वारा किए जाएंगे। उपरोक्त का, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना द्वारा,ऑडिट कराया जाएगा। एवं ऑडिट रिपोर्ट को संबंधित प्राधिकरणों को सूचनार्थ उपलब्ध कराया जाएगा। महोदय, आउटसोर्सिंग एजेंसियों एवं कर्मचारियों के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार, अगर कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी या कर्मचारी कोई अवैध लेन-देन करता है, तब इसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी, इसमें अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना, को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। तथा पीड़ित लोग इसकी शिकायत संबंधित थाने में एवं संबंधित न्यायालय में कार्यवाही हेतु कर सकते हैं, इसमें अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना को कोई आपत्ति नहीं है। महोदय, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना, द्वारा सारे भुगतान केवल ऑनलाइन लिए जाते हैं, जिससे भुगतान में पारदर्शिता रहे। हमारे द्वारा कभी रसीद काटकर कैश पैसा नहीं लिया जाता है। तथा कोई भी हमारी तरफ से, हमारे किसी भी शाखा कार्यालय,में कोई भी भुगतान लेने के लिए अधिकृत नहीं है। महोदय, हमारे कर्मचारियों, द्वारा जमा की जाने वाली राशि के साथ,उनसे शपथ पत्र लिया जाता है, एवं अनुबंध किया जाता है, लोन ऑफीसर्स द्वारा जमा की जाने वाली राशि के साथ,अपने शपथ-पत्र जमा किए गए थे, इसके बाद लिखित एग्रीमेंट किए गए हैं,जिसमें जमा की गयी राशि के औचित्य, उसको उपरोक्त मदो में खर्च करने एवं उसके समायोजन सहित,सभी बातों का भली-भांति उल्लेख है। तथा उपरोक्त अनुबंध पत्र पर संबंधित द्वारा अपने हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनको संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रमाणित भी किया गया हैं।

6-महोदय,लोन ऑफीसर्स द्वारा सिक्योरिटी राशि के साथ, अपने शपथ-पत्र जमा किए गए थे, इसके बाद लिखित एग्रीमेंट किए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी राशि के औचित्य, उसको अनुबंध,प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन प्रबंधन सहित, विविध मदो में खर्च करने, तथा उनके समायोजन सहित, सभी बातों का भली-भांति उल्लेख है। तथा उपरोक्त अनुबंध पत्र पर संबंधित लोन ऑफीसर द्वारा अपने हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनको संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रमाणित भी किया गया हैं, सके बाद भी यह लोग हमारे अधिकारियो से धमकी देकर पैसा मांग रहे है, महोदय, कंप्लेंट करने वाले इन लोगों ने अपने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है, एग्रीमेंट के बारे में, पुलिस एवं साइबर सेल को कुछ भी बताया नहीं है, इन लोगों ने, पुलिस को,साइबर सेल को झूठी सूचना दी है, खुद एग्रीमेंट करने अपना शपथ पत्र देने, एवं उपरोक्त में जमा की गयी राशियों, उनको खर्च करने एवं उनके समायोजन का स्पष्ट विवरण होने के बाद,कोई फर्जी झूठी रिपोर्ट कैसे कर सकता है, यह पुलिस एवं साइबर सेल को गुमराह करना है, एक अपराध है, यह हमारी मानहानि है, महोदय हमारे द्वारा ऐसे लोन ऑफीसर्स के ऊपर कोर्ट में, एग्रीमेंट के बाद भी पुलिस को झूठी जानकारी देकर, गुमराह करने एवं हमारी मानहानि के मुकदमे कराए जा रहे हैं। महोदय, आपसे अनुरोध है कि, लीगल अनुबंध होने के बाद भी, साइबर सेल को गुमराह करते हुए, हमारी झूठी शिकायत करने वालों के ऊपर, कड़ी कार्यवाही करने का आदेश, संबंधित अधिकारियों को देने का कष्ट करें।

भवदीय
Digitally signed by r.k.nigam
Date-14.11.2026, at 10.40 am
(आर.के.निगम)
निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. आदरणीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
3. समस्त विभाग अध्यक्ष एवं सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। `
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त थाना प्रभारी, उत्तर प्रदेश।
7. प्रभारी अधिकारी,साइबर सेल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त प्रिंट एवं चैनल मीडिया, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त विधिक संस्थाएं एवं जनप्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश ।
10. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई, भारत।

Digitally signed by r.k.nigam
Date-14.11.2026, at 10.40 am
(आर.के.निगम)
निदेशक